प्रपत्र–V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग ''ख'' या भाग ''ग'' या भाग ''घ'' में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाऐं)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर जिला मंडला एवं जिला जबलपुर के अन्तर्गत वनमंडल जबलपुर के कुण्डम परिक्षेत्र के अन्तर्गत कक्ष क्रमांक 1, 2, 22, 23 एवं 24 का कुल रकबा 5.420 हे0 वनभूमि एवं सामान्य वनमंडल पश्चिम मंडला की परिक्षेत्र निवास के अन्तर्गत कक्ष क्रमांक आर.एफ. 313, आर.एफ. 312, आर.एफ. 653 ओ. 853 ओ. 859, ओ. 860 ओ. 863, ओ. 864 ओ. 866 एवं ओ. 867 का कुल रकबा 64.135 हे0 वनभूमि इस प्रकार कुल 69.555 हेक्टेयर वनभूमि छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण हेतु जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 29/11/10
स्थानः भोपाल

(कैप्टन अनिल कुमार खरे)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

(कैप्टन अनिल कुमार खरे)
सचिव
म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)